# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
# निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।

पत्रॉक:– 83 /प्रा0वर्ग/20–21 दिनॉक :–13 /01 /2021

सेवा में,

Assistant Manager,
Torrent Gas Pvt. Ltd,
C/o Torrent Gas Moradabad Ltd. CNG Station,
Village Dhannupura, 14 Km Stone,
NH-24, Moradabad.

विषय :– Permission for Laying 6" dia Natural Gas Carbon Steel Pipeline Network along and across the Roads in Moradabad Under city Gas Distribution Project of Torrent Gas.

सन्दर्भ :– Your Letter No. TGPL/ADMS/GA-83/2020-21/12/MB/164 Dated 12-12-2020

उपरोक्त विषयगत मार्ग पर पाईपलाईन बिछाने हेतु संलगन मानचित्र के अनुसार पाईपलाईन डालने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

| क्र0 सं0 | मार्ग का नाम | लम्बाई |
|---|---|---|
| 1 | Permission for Laying 6" dia Natural Gas Carbon Steel Pipeline Network along and across the Roads in Moradabad Under city Gas Distribution Project of Torrent Gas. (Moradabad-Sambhal Road SH-148, Ch. 6.180 to 16.140) Total Length 9.960 Km. | 9.960 Km. |

प्रतिबन्ध यह है कि :–

1. कार्य मार्ग की लेपित सतह के किनारे से न्यूनतम 2.00 मी0 छोडकर कच्चे भाग में किया जायेगा।
2. समस्त कार्य मार्ग के कच्चे भाग में एवं क्रासिंग इत्यादि पर एच0डी0डी0 मशीन द्वारा ही कराया जाये।
3. खोदे जा रहे गड्ढे के चारो ओर बेरिकेटिंग/टीन आदि लगाकर सुरक्षित किया जाये।
4. कच्चे भाग में जहॉ भी पिट्स खोदे जायें उनको कार्य उपरान्त तत्काल भली प्रकार मिट्टी से लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कुटाई कर बन्द कर दिया जाये, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना न रहे।
5. कार्य के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से लाल झण्डी, बेरिकेटिंग टीन, बैरियर एवं आवश्यक सूचना पट इत्यादि का समुचित प्रयोग किया जाये। किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी लो0नि0वि0 की नहीं होगी।
6. कार्य करते समय अन्य विभाग की केबिल/विद्युत खम्बे/भूमिगत पाईप लाईन/गैस लाईन/भूमिगत विद्युत लाईन इत्यादि क्षतिग्रस्त न हो इसका पूर्ण ध्यान रखा जाए, जिसके लिए लो0नि0वि0 का कोई उत्तदायित्व नहीं होगा।
7. कार्य के दौरान यातायात में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो इसकी समुचित व्यवस्था की जाये।
8. मार्ग की लेपित सतह को किसी प्रकार क्षतिग्रस्त न किया जाये।
9. भविष्य में मार्ग के चौडीकरण के समय आपकी पाईपलाईन के क्षतिग्रस्त होने की कोई जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी तथा चौडीकरण के दौरान पाईपलाईन आपको स्वंय के खर्चे से शिफ्ट करानी होगी।
10. यदि इस संरेखण में कोई भूमि वन विभाग अथवा अन्य विभाग के स्वामित्व में आती है तो सम्बन्धित विभाग से अनुमति लेना आपकी जिम्मेदारी होगी।
11. उपरोक्त प्रतिबन्धों का पालन न होने की स्थिति में अनुमति निरस्त करते हुए कार्य को तुरन्त बन्द करा दिया जायेगा।
12. शासनादेश के अनुसार अन्य सभी शर्ते मान्य होंगी।
13. यदि कार्य उपरान्त पटरी/लेपित मार्ग की मरम्मत सन्तोषजनक रूप से नहीं की जाती है तो मरम्मत का कार्य डेबिडेबिल एजेन्सी द्वारा करा लिया जाएगा एवं इस प्रकार हुए किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति की वसूली आप से कर ली जाएगी। आप द्वारा जमा की जा रही जमानत की बैंक गारण्टी मार्ग के प्रमारी अभियन्ता की निरीक्षण आख्या उपरान्त ही वापस की जाएगी।
14. कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त डाली गयी पाईपलाईन का वास्तविक ले–आउट इस कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
15. डाली गयी पाईपलाईन के ऊपर 500–500मी0 के अन्तराल पर सांकेतिक बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

पत्रॉक:– / दिनॉक :– / /2020

1. प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को उनके पत्र संख्या शून्य, दिनांक 06.10.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता–द्वितीय, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके द्वारा दी गयी आख्या के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि खण्डीय कैशियर, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 006368, दिनांक 20.11.2020, धनराशि रू0 9960/– (रू0 नौ हजार नौ सौ साठ मात्र) राजकीय कोष में जमा करने हेतु एवं बैंक गारण्टी संख्या OGT0009200049203 दिनांक 04.12.2020, धनराशि रू0 9,96,000/– (रू0 नौ लाख छियानवे हजार मात्र) को सुरक्षित रखने हेतु।

13/01/2021

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED
12/2

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

E:\metting\General letter.doc